न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का परबतसर

बनाम

अप्रार्थी :– श्री हनुमानराम पुत्र किसनाराम जाट निवासी बन्धा की ढ़ाणी परबतसर

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 96 / 17

निर्णय दिनांकः–09.01.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का परबतसर ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद परबतसर के खसरा नम्बर 667 किस्म गै.मु.रास्ता में रकबा 0.0120है. भूमि में तार बन्दी लगा कर अतिकमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वंय से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। वकील अप्रार्थी उपस्थित।लिखित जवाब पेश किया जो सारहीन होने से शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी का मौजा परबतसर के खसरा नम्बर 667 किस्म गै.मु.रास्ता में रकबा 0.0120है. की भूमि पर अतिकमण किया जाना वर्तमान में सिद्व होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति है. की दर से अतिकमित रकबा 0.0120 है. भूमि के 1 रूपये गुणाक में लगान का 50 गुणा 50/– अक्षरे पच्चास रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनॉक 09.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार परबतसर

पंजिका 'ग' पत्र 17-18 के पृष्ठ सं. 1 पर 501 क्र.सं. पर दर्ज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार